फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मोहन | **विपक्षी :– श्री पन्ना**

किस्म मुकदमा – विविध | **पत्रावली संख्या : 25/23**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 26.09.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाकर मुल वाद में निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के तहत् दिनांक 10.04.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो जानकारी में आते ही प्रस्तुत करना बताया।

मूल वाद के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 89/22 दिनांक 06.06.22 को दर्ज होकर दिनांक 26.08.2022 को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादी सं. 4 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.02.2021 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता दुर्गालाल को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण नहीं खुलने से दुर्गालाल को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 9, 12, 13, 15 द्वारा रजिस्टर्ड मुख्तियारनामा आम दिनांक 29.11.2021 को निष्पादित कर मांगीलाल पिता धनराज खिंची को अधिकार दिये गये हैं। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1, 2, 9, 12, 13, 15 दिनांक 04.08.2022 को अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1, 2, 9, 12, 13, 15 के सम्मन का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1, 2, 9, 12 के सम्मन प्रतिवादी सं. 1 द्वारा व प्रतिवादी सं. 13, 15 के सम्मन भाई ने प्राप्त किये। प्रतिवादी के कथनानुसार प्रतिवादी द्वारा मौखिक रूप से वादी को अवगत करवाया गया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय हो चुका है परन्तु वादी ने जानबुझकर क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया हैं। प्रार्थी का कथन है कि क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिस वजह से उसे प्रकरण की जानकारी नहीं हो पाई और वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। चूंकि उक्त वादग्रस्त भूमि का विक्रय हो चुका है एवं वादग्रस्त आराजीयात के हिस्से हो जाने से विक्रय पत्र का नामान्तरकरण नहीं होने से प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय पत्र के आधार पर यदि नामान्तरकरण नहीं होता है और विक्रेता उक्त वादग्रस्त आराजीयात को अन्य को विक्रय कर देते है तो इससे प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रकरण में प्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण एकतरफा डिक्री पारित हो चुकी हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी का हित निहित हैं, इसलिए प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः प्रकरण को न्यायहित में कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का 500/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण संख्या 89/22 में निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.08.2022 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.2022 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थी उक्त राशि जरिये चालान राजकोष में जमा करा रसीद पेश करेगें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:20:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली